

कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या: एम०ई०-३ / यू०जी०-२०२३ / १६।।

दिनांक: २५ जुलाई, २०२३

आवश्यक सूचना

1. यू०पी० नीट यू०जी०-२०२३ की काउंसिलिंग के अन्तर्गत पंजीकरण प्रक्रिया में अभ्यर्थियों/अभिभावकों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) तथा भूतपूर्व सैनिक (Ex. Army) के आश्रित प्रमाण पत्रों के प्रारूप के संबंध में की गयी पृच्छाओं के समाधान हेतु स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) तथा भूतपूर्व सैनिक (Ex. Army) के आश्रित प्रमाण पत्र के प्रारूप संलग्न है।
2. यू०पी० नीट यू०जी०-२०२३ की काउंसिलिंग के अन्तर्गत पंजीकरण के समय अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन अपलोड किये गये अभिलेख यदि निर्धारित नोडल सेन्टर पर सत्यापन में रिजेक्ट किये जाते हैं तो एस०एम०एस०/ई-मेल से प्राप्त सूचना पर अविलम्ब चयनित नोडल सेन्टर पर निर्धारित अवधि में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अभिलेखों का सत्यापन संबंधित अभ्यर्थी द्वारा कराया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
3. यदि अभ्यर्थी ने पंजीकरण के दौरान त्रुटिवश बायोलॉजी विषय को एडिशनल विषय के रूप में पास करने की सहमति (Yes) प्रदान की है तो ऐसे अभ्यर्थी डाक्यूमेन्ट अपलोड करते समय एडिशनल विषय के लिये दिये गये स्थान पर पुनः इंटरमीडियट की मार्कशीट अपलोड कर दें।


महानिदेशक

सैनिक आश्रित प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि पूर्व सैनिक नं०

रैंक नाम

पुत्र श्री निवासी

..... जिला

का निवासी है। इन्होंने कोर/रेजीमेन्ट में

दिनांक से

तक सैन्य सेवा की है।

2. भूतपूर्व सैनिक का परिचय पत्र संख्या

दिनांक

को जारी किया गया है।

3. उक्त भूतपूर्व सैनिक के निम्न आश्रित हैं:-

क्रम सं०	नाम	आयु (जन्मतिथि)	सम्बन्ध
1.
2.
3.
4.

पत्रांक: जि०सौ०क०/प्रमाण पत्र / / 20

कार्यालय जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, जनपद

दिनांक जिला सैनिक कल्याण एवं
पुनर्वास अधिकारी
जनपद

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रभाण-पत्र का प्रपत्र।

प्रभाण-पत्र

प्रभाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती निवासी
ग्राम—....., तहसील—....., नगर—.....,
जिला—..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री / श्रीमती / कुमारी (आश्रित)
..... पुत्र / पुत्री / पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)
..... के आश्रित हैं।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पूरा नाम

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी
(सील)